संदर्भ

प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा

❑ नवल किशोर सोनी

सिगमंड फ्रायड ने कहा था, ''दबे हुए मनोवेगों का पुन: प्रसार करो'', जबकि होता यह है कि परंपरा, संस्कृति अथवा लोक-लाज के निषेधों के चलते आडंबरी तौर पर सैक्स संबंधी मनोवेगों को दबा दिया जाता है । लेकिन हमारे अवचेतन मन में उनकी अनुगूंज बनी रहती है जो यदा-कदा अन्य माध्यमों से प्रकट होती रहती है । विद्यालयों में भी ऐसी दमित कुंठाओं की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है । किन्तु दूसरी ओर विद्यालयों, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर यौन-शिक्षा को लेकर शिक्षाविदों में तीव्र मतभेद रहा है । यह लेख इस विवाद में एक पक्ष प्रस्तुत करता है, यदि तार्किकप्रतिपक्ष सामने आता है तो हम उसे भी छापेंगे ।

बच्चों को 'यौनिकता' के विषय में जानने या प्रश्न करने की स्वतंत्रता दी जाये या नहीं, इस मुद्दे पर अलग-अलग लोगों की अलग अलग राय सामने आती है । जब भी हम बच्चों के संदर्भ में बात करना शुरू करते हैं तो स्वतंत्रता की सीमा-रेखायें गहरी होती चली जाती हैं। जबकि मेरा मानना है कि स्वतंत्रता सदैव बेशर्त होनी चाहिए । जब हम शर्तें लगाना या पाबंदी लगाना शुरू करते हैं तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं रह जाती अपितु वह परतंत्रता से भी खतरनाक हो जाती है । हम बच्चों को कहते हैं कि इन-इन विषयों पर अथवा यहां-यहां तक तुम्हें बात करने की आजादी है । प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है । मगर इस-इस या फलां-फलां विषय पर तुम बात नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो हम सोचें कि किस प्रकार की स्वतंत्रता उन बच्चों को दे रहे हैं ।

बच्चे उसी समाज के अंग हैं जिसमें हम रह रहे हैं । आज दृश्य मीडिया जिस असंतुलित तरीके से विज्ञापन और अन्य कार्यक्रमों में 'सेक्स' विषय को दिखा रहा है, वह बच्चों तक भी पहुंच रहा हैं तथा उनमें जुगुप्सा पैदा कर रहा है । स्वभाविक तौर पर जब बच्चे 'यौनिकता' के विषय में जानना चाहते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें दुत्कार करके चुप करा दिया जाता है । या फिर कहा जाता है कि अभी तुम्हारी उम्र इस लायक नहीं है कि तुम इन सब के बारे में जान सको । और हमारा यह 'इन्कार' पुन: अतिवेग से बच्चों के लिए जिज्ञासा में परिवर्तित हो जाता है । वे सोचते हैं कि आखिर बात क्या है ? क्यों सभी 'इन' चीजों को हमसे छिपाते हैं ? हमें जानने क्यों नहीं दिया जाता ? फलस्वरूप वे (बच्चे) अन्य-अनेक माध्यमों से अपनी जिज्ञासा को शान्त करने का प्रयास करते हैं, गलत संगत में पहुंचते हैं या फिर अश्लील साहित्य की ओर प्रवृत्त होते हैं । वहां से उन्हें अधकचरी जानकारी मिलती है जो और भी ज्यादा खतरनाक होती है । बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, दीवारों, नोट-बुक, पुस्तकों इत्यादि पर अश्लील शब्द लिखना तथा सामाजिक जीवन में बढ़ रहे यौन अपराधों, बलात्कार, छेड़खानी असमय ही 'यौनिकता' की तरफ उन्मुख होना, लड़कियों को देखते ही फब्तियां कसना, कंकड़ मारना, उन्हें छेड़ने इत्यादि के मूल में हम जायें तो टी.वी. एवं सिनेमा द्वारा 'यौनिकता' विषय को संतुलित तरीके से नहीं दिखाया जाना, अश्लील साहित्य, अश्लील विज्ञापन, यौनिकता विषयक जिज्ञासाओं के दमन इत्यादि की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। बच्चों के संदर्भ में जब बचपन से ही नैतिकता के दबाव के चलते दुराव-छिपाव की नीति अपनाई जाती है तो समस्याएं और विकराल रूप धारण करती जाती हैं। घरों पर जब भी बच्चे 'यौनिकता' संबंधी अपनी जिज्ञासा को अपनों से बड़ों के सामने रखते हैं तो उन्हें डांट-डपट कर चुप करा दिया जाता है ।

जब हम घर के बाद अपनी नजर स्कूलों पर डालते हैं तो हमारी कठिनाइयां और भी बढ़ जाती हैं । चूंकि स्कूलों में बच्चे एक भीड़ के रूप में इकट्ठा कर दिये जाते हैं और उनका पथ-प्रदर्शन वे भी नहीं कर पाते जो बच्चों को सबसे अधिक पहचानते और प्यार करते हैं । निश्चय ही यह एक अस्वाभाविक दशा है और इसमें बुराइयों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है । मैं एक ऐसे विद्यालय (दिगन्तर) में बच्चों के साथ काम कर रहा हूं जो परंपरागत पद्धति से चल रहे विद्यालयों से कई मायनों में भिन्न है । यहां के बच्चे दण्ड व भय रहित वातावरण में स्वयं अपनी गति से सीखते हैं । शिक्षकों के साथ यहां के बच्चों के बड़े ही अंतरंग व दोस्ताना संबंध होते हैं। अपना हर प्रश्न, हर जिज्ञासा नि:संकोच शिक्षक के समक्ष रख देना यहां के बच्चों के स्वभाव का एक हिस्सा है । एक दिन पर्यावरण अध्ययन के तहत शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके कार्यों पर हो रही चर्चा के दौरान बच्चों ने जिज्ञासावश कुछ सवाल मेरे सामने रखे, जैसे कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। शादी से पहले बच्चे क्यों पैदा नहीं होते ? क्या हम सबको अल्लाह ने बनाया है ? इत्यादि।

बच्चों के उक्त सभी प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी गोकि पहली बार उन बच्चों ने निश्छल भाव से अपनी जिज्ञासा को एक विश्वास व अपेक्षा के साथ मेरे सामने रखा था । यह आवश्यक भी है कि शिक्षक तथा बालक के मध्य इतना आपसी

विश्वास तो हो कि वे अपनी हर बात एक दूसरे से कह सकें । यहां हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चे पहले-पहल प्रश्न पूछना शुरू करते हैं तब उनके सरल और स्वाभाविक प्रश्नों के उत्तर सरल और स्वभाविक तौर से ही देना चाहिये, जिससे उनके विचारों में रुकावट पैदा न हो और किसी चीज के रहस्य बन जाने से जो चीजें पैदा होती हैं, वे पैदा न हों। अधिक समय तक प्रश्नों का समाधान न होने से ही समस्या बढ़ती है । बच्चों के साथ 'यौनिकता'' पर बातचीत करने के विरुद्ध जो तर्क दिया जाता है वह यह कि इन सब बातों को बताने से बच्चों का दिमाग कृत्रिम रूप से यौन विषयों पर केन्द्रित हो जाने का खतरा है । जबकि मैं कहना चाहता हूं कि इससे भी बड़ा खतरा यह है कि बच्चे संबंधित तथ्यों के बारे में अनभिज्ञ बन कर रह जायें। हमें यह ठीक से समझना चाहिए कि बच्चों के यह जानने की जिज्ञासा कि बच्चा कैसे पैदा होता है, यौन संज्ञानता का लक्षण नहीं है अपितु वह तो एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य को खोज निकालने की जिज्ञासा है । ऐसे ही बच्चों के अपने से भिन्न लिंग के व्यक्तियों के शरीर की बनावट के बारे में जानने की जिज्ञासा भी उतनी ही निर्दोष और स्वाभाविक है । बच्चों में अस्वस्थ यौन संज्ञानता तो उनकी जिज्ञासाओं का तर्कहीन रूप से जबरदस्ती दमन करने के कारण होती है । इस तथ्य को बच्चों के अभिभावकों तथा बच्चों के साथ काम कर रहे हम शिक्षकों को भलीभांति समझना चाहिए। जिज्ञासाओं का दमन करने की स्थिति में ही ज्यादातर बच्चे चोरी-छिपे यौनिकता विषयक रहस्यों का उद्घाटन करने में अपना ध्यान लगाते हैं,क्योंकि खुलकर पूछने पर उन्हें हम लोगों की डांट व झिडकियां खानी पडती हैं। बच्चों की यौनिकता के संदर्भ में उठी जिज्ञासाओं को सही दिशा देने में बच्चों के माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । विशेषकर माताओं की क्योंकि मातृत्व केवल जैविक कार्य ही नहीं है अपितु यह एक कौशल भी है, जिसके लिए बच्चों की उचित देख-भाल और सार- संभाल की जरूरत होती है। अक्सर अधिकांश माता पिता अपने काम धंधों में डूबकर आत्मकेन्द्रित मानसिकता में बह जाते हैं और अपने नन्हें बच्चों के साथ कभी अनुचित कडाई का तो कभी बनावटी प्यार स्नेह का व्यवहार करते हैं । क्या ही अच्छा हो यदि बच्चों के अभिभावक बच्चों पर अनुशासन और नियंत्रण लादने वाले व्यक्ति के बजाय कठिनाइयों और दिक्कतों में बच्चों के मार्गदर्शक बनें । वे बच्चों को समझें तथा उनके विश्वास को प्राप्त करके कठिनाइयों में उनके विश्वसनीय सलाहकार बनें तो बेहतर रहेगा ।

प्राणिशास्त्री रगल्स गेट्स ने कहा है ''स्कूल के प्रत्येक छात्र और छात्रा को शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में वनस्पति और प्राणियों के स्वभाव, शरीर की बनावट और कार्यों के बारे में, साथ ही उनके परस्पर संबंधों और पारस्परिक प्रतिक्रियाओं के विषय में कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए । उन्हें वंशानुक्रम के संबंध में भी कुछ ज्ञान होना चाहिए और उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक शरीर अपनी प्रजनन संबंधी विशेषताओं के सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्यौरों को उत्तराधिकार के रूप में ग्रहण करता है और फिर उन्हें उत्तराधिकारी को प्रदान कर देता है ।''

यदि बच्चों को सही रास्ता दिखाना घर में शुरू होकर वहीं समाप्त भी हो जाये तो इससे बढ़कर दूसरा कार्य क्या हो सकता है। परन्तु यह विडम्बना ही कहलायेगी कि बच्चों के भावी अग्रदूत अक्सर भूतकाल की रूढियों के दल-दल में फंसकर बच्चों का भविष्य चौपट करने में लगे हुए हैं ।

हालांकि यहां सारा दोष बच्चों के अभिभावकों पर मंडना मेरा मंतव्य नहीं है, बहुत हद तक हमारी शिक्षा प्रणाली भी इसके लिए जिम्मेदार रही है । हमारी शिक्षा प्रणाली ने ''यौनिकता'' को, जो कि सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन का प्रमुख आधार है, उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखा है। यौन आवेग को अभी तक बुद्धि के दायरे में नहीं लाया जा सका है तथा हमारी शिक्षा प्रणाली बुद्धि तक ही सीमित रही है । फल-स्वरूप उस आवेग की अति व्यापक गतिशील शक्तियां कुंठित हो गई हैं। विशेषकर किशोरावस्था में बच्चों के समक्ष समायोजन की अनेक समस्याएं होती हैं। जहां अपने शारीरिक परिवर्तनों के कारण वे स्वयं असमंजस में होते हैं, वहीं भावात्मक रूप में भी उनकी कठिनाइयां कम नहीं होतीं। ऐसी स्थिति में घर पर अभिभावकों की उदासीनता, विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा उनकी कठिनाइयों को न समझना तथा उचित मार्ग दर्शन के लिए किसी विशेष शिक्षा व्यवस्था का न होना भी बच्चों में कुंठा के पनपने का एक कारण हो सकता है । हम देखते हैं कि जहां पाठयक्रम में प्रजनन अंगों के नाम तक नहीं होते वहीं स्वयं शिक्षकों के पास यौनिकता के संदर्भ में बच्चों के साथ बातचीत करने के तरीकों व जानकारियों का भी अभाव होता है । इन विषयों पर उनके स्वयं के पूर्वाग्रह और झिझक होती है, जिसके चलते भी बच्चों के साथ बातचीत कर पाना सहज नहीं हो पाता है। जबकि एक सफल अध्यापक को यह पता होना चाहिये की बच्चों की वयस्क आयु क्या है? उनकी शारीरिक वृद्धि का उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है ? वयस्क उम्र में उनको समायोजन में सामान्यत: क्या-क्या कठिनाइयां उठानी पड़ती है ? किशोरावस्था में जबकि बच्चे तारूण्य को प्राप्त होते हैं, उससे पहले ही बालिकाओं को उनके ऋतु स्त्राव तथा बालकों को

शुक्र व उसके स्त्राव के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिये अन्यथा बालक इन सबके लिए अशुद्ध व भ्रान्त धारणायें बना लेते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान में भी ऋतु स्त्राव जो कि मानव जीवन का मुख्य आधार है, के बारे में अधिसंख्य प्रौढों व युवकों में अनेक त्रुटिपूर्ण व भ्रान्त धारणायें देखने को मिलती है । क्या ही अच्छा हो कि हम समय रहते बच्चों को सहज रूप से उन सब चीजों का बोध करा दें भविष्य में जिनका उनके लिए रहस्य बन जाने का खतरा है। बालकों की काम संबंधी समस्याओं के समाधान व उनके उपयुक्त हल के लिए लिंग भेद संबंधी सूचना मात्र देना पर्याप्त नहीं है । अपितु उसके बारे में उन्हें पूर्ण ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है ।

प्राथमिक शालाओं में बच्चों को यौनिकता विषयक शिक्षा पर्यावरण अध्ययन अथवा सामाजिक अध्ययन के साथ समायोजित करके दी जा सकती है। सामान्यत: इसे पुष्पों, जानवरों, पशु-पक्षियों की यौन-अवधारणाओं से शुरू किया जा सकता है। धीरे धीरे इसे सरल से कठिन पैटर्न की तरफ बढ़ाते हुए स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों अथवा शारीरिक अंगों के कार्यों इत्यादि से सहज रूप से जोडकर पढ़ाया जा सकता है।

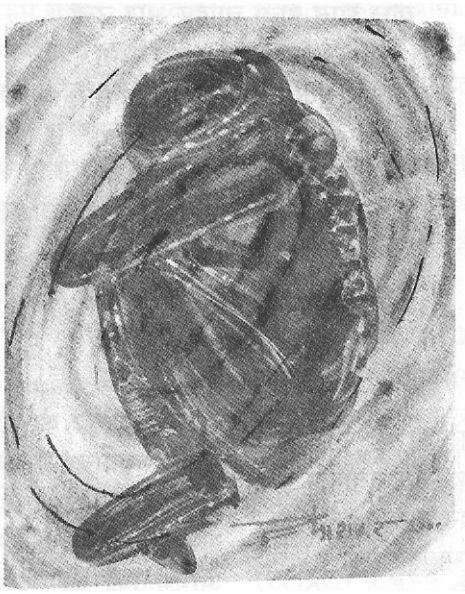

सह-शिक्षा (को-एजुकेशन) व्यवस्था में अन्य अनेक संदर्भों में भी बातचीत करना आवश्यक होगा। जैसे वर्तमान संदर्भों में जिस प्रकार से विज्ञापनों में नारी को प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके औचित्य व मंतव्य पर बालक-बालिकाओं के बीच बहस कराकर एक सर्व सम्मत विवेकयुक्त राय बनाई जा सकती है । इसी तरह से नारी उत्पीडन, स्त्री पुरूष में भेदभाव के संदर्भ लेकर अथवा समाचार पत्रों में छपे संदर्भित समाचारों की कतरनें इत्यादि पर बातचीत करके एक विशेष पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है । इस संदर्भ में बच्चों के माता-पिता से भी बातचीत की जानी चाहिये । सम्भव हो तो बच्चों के अभिभावकों को उक्त बातचीत में शामिल किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सह-शिक्षा व्यवस्था में 'यौनिकता' जैसे संवेदनशील विषय पर बातचीत करने के लिए परस्पर जिस विश्वास की जरूरत होती है उसे बनाने तथा कायम करने की जिम्मेदारी का निर्वहन हम शिक्षकों को भलीभांति करना चाहिए । पूरी बात का सार यह है कि बच्चों को विद्यालय में अन्य विषयों की शिक्षा के साथ-साथ जैसे-जैसे उसका विकास होता जाता है, उसे प्राणि-शास्त्र की प्रारंभिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए जिसमें मानव-जीवन के सभी तथ्यों के साथ-साथ 'सेक्स' भी सम्मिलित हो । जैसाकि प्राणिशास्त्री रगल्स गेट्स ने कहा है ''स्कूल के प्रत्येक छात्र और छात्रा को शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में वनस्पति और प्राणियों के स्वभाव, शरीर की बनावट और कार्यों के बारे में, साथ ही उनके परस्पर संबंधों और पारस्परिक प्रतिक्रियाओं के विषय में कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए । उन्हें वंशानुक्रम के संबंध में भी कुछ ज्ञान होना चाहिए और उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक शरीर अपनी प्रजनन संबंधी विशेषताओं के सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्यौरों को उत्तराधिकार के रूप में ग्रहण करता है और फिर उन्हें उत्तराधिकारी को प्रदान कर देता है ।''

अत: शालाओं में यौन आवेग की अन्त: शक्तियों को प्रोत्साहन देकर उनका विकास किया जाना अत्यावश्यक है । जैसा कि सिगमण्ड फ्रायड ने कहा था कि ''दबे हुए मनोवेगों का पुन: प्रसार करो'' । जबकि होता यह है कि हम परम्परा, संस्कृति अथवा लोक-लाज के बहाने आडम्बरी तौर पर सैक्स संबंधी मनोवेगों को दबा लेते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन मन में उनकी अनुगूंज बनी रहती है जो यदा-कदा अन्य माध्यमों से प्रकट होती रहती है । आज समाज में लडकियों को देखते ही उन पर फब्तियां कसना, पत्थर या कंकड़ मारना, 'फ्लाईंग किस' इत्यादि क्या हैं ? यह सब प्रतीकात्मक रूप से लडकियों को छूना ही है। किशोरावस्था में यौन संबंधी उत्सुकता की ओर उन्मुख होना किशोरों की नैसर्गिक प्रवृत्ति है । ऐसी स्थिति में किशोर-किशोरियां अपरिपक्व यौन संबंधी जानकारियों से अनभिज्ञ होते हैं और दिशा भ्रमित होकर गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं । यदि आरंभ से ही लड़कियां परिचित होंगी, जानी पहचानी होंगी; एक दूसरे के शरीर के बारे में बालिक-बालिकाएं जानते होंगे तो न तो इस संदर्भ में बच्चों की जिज्ञासाएं बढ़ेंगी और न ही अनावश्यक आकर्षण उत्पन्न होगा । शरीर के संबंध में विकृत और रुग्ण कौतुहल ऐसे बच्चों में ही पैदा हो सकता है जो अपने से भिन्न लिंग के बच्चों के शरीरों को जाने बिना ही बढ़ रहे होते हैं । अत: यह वांछनीय है कि बच्चे एक दूसरे के शरीरों से परिचित रहें । इस तरह की सरलता और स्पष्टता से यौन संज्ञानता का विकास होता है और अवांछनीय जिज्ञासाएं पनप नहीं पाती हैं । अत: यौन शिक्षा ही यौन अपराधों पर नियंत्रण का एक उचित माध्यम हो सकती है। यदि समय रहते हमने इस दिशा में प्रयास नहीं किये तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं ।◆